प्रकरण संख्या 54/2024 देवीसिंह बनाम भंवरसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम रोयडा, तहसील गोगुन्दा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 1159, 1361 किता 2 रकबा 0.6350 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी नंबर 622, 623 किता 2 रकबा 1.5450 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी नंबर 1260, 1261, 1262, 1421, 1499 किता 5 रकबा 0.7000 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/8 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी नंबर 1006, 1082, 1083, 1113, 1132, 1133, 1135, 1160, 1162, 1359, 1419, 1429, 1462, 1495, 1496, 1498, 1554, 1561, 1585, 1596, 1676, 1679, 1704, 2006, 3074, 3075, 597 से 600, 605, 626, 636, 638, 639, 640, 742, 888, 889, 978, 979, 986 किता 42 रकबा 3.2250 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार मौजा गुमान, तहसील गोगुन्दा में आराजी नंबर 2586 किता 1 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। खातेदार काश्तकार स्वर्गीय खेमसिंह पिता गंगासिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान देवीसिंह, दलपतसिंह, श्रीमती अनीता, श्रीमती उषा है, जो कमशः प्रतिवादी संख्या 9 से 12 हैं तथा खातेदार काश्तकार स्वर्गीय भूरसिंह पिता गुलबसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है,	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

जिसके विधिक वारिसान मानसिंह, सूरतसिंह, श्रीमती कालीबाई है, जो प्रतिवादी संख्या 13 से 15 हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी मौखिक बंटवारे अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने से पक्षकारों के मध्य सीमा को लेकर विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.04.2023 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 10.06.2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.06.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में सभी पक्षकारों को सूचना नहीं दी गयी तथा फर्द बंटवारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि पटवारी को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने की कोई अधिकारिकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर तैयार अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा सभी पक्षकारान को सूचना देकर [illegible] प्रस्ताव उनकी उपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

में तैयार किया जाकर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है तथा बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर तहसीलदार गोगुन्दा को नियुक्त किया गया था। पटवारी को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने की अधिकारिकता नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 127/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार गोगुन्दा पक्षकारान को विधिवत सूचना पत्र जारी करें तथा उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवारे पर यदि किसी पक्षकार की आपत्ति है तो उसका निराकरण करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested